

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 276]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 4, 2016/आषाढ़ 13, 1938

No. 276]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 4, 2016/ ASADHA 13, 1938

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2016

सं. टीएएमपी/19/2013-एसडब्ल्यूपीएल.— महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38 वाँ) की धारा 48 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा मुरगाँव पत्तन न्यास में बर्थ सं.5 ए और 6 ए बहुउद्देशीय कार्गो टर्मिनल पर अपने ऑपरेशन हेतु साँउथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड के प्रचलित दरमान की वैधता को संलग्न आदेशानुसार विस्तारित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला संख्या टीएएमपी/19/2013-एसडब्ल्यूपीएल

साँउथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड

आवेदक

गणपूर्ति :

- (i) श्री टी.एस.बालासुब्रामण्यन, सदस्य (वित्त)
- (ii) श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(जून, 2016 के 21वाँ दिन पारित)

यह मामला साँउथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड के प्रचलित दरमान की वैधता विस्तारित करने से संबंधित है।

2.1 एसडब्ल्यूपीएल के प्रचलित दरमान पिछली बार दिनांक 4 फरवरी, 2015 को आदेश क्रमांक टीएएमपी/19/2013-एसडब्ल्यूपीएल के माध्यम से इस प्राधिकरण ने अनुमोदित किया था, जो कि दिनांक 11 फरवरी, 2015 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। आदेश में एसओआर की वैधता 31 मार्च, 2016 तक निर्धारित किया गया था।

2.2 बाद में, एसडब्ल्यूपीएल द्वारा दाखिल पुनर्विलोकन आवेदन को इस प्राधिकरण ने दिनांक 15 जनवरी, 2016 के आदेश क्रमांक टीएएमपी/24/2015-एसडब्ल्यूपीएल द्वारा निपटान किया गया था, जो कि भारत के राजपत्र में दिनांक 4 मार्च, 2016 के अधिसूचना सं. 82 द्वारा अधिसूचित किया गया था।

3.1 प्रशुल्क दिशा-निर्देश, 2005 के धारा 3.1.2 के अनुसार, प्राइवेट टर्मिनल्स को परिशोधन नियत तिथि से, कम से कम 3 महीना के पहले प्रस्ताव दाखिल करना होता है। चूँकि एसडब्ल्यूपीएल ने अपने एसओआर के परिशोधन हेतु प्रस्ताव दाखिल नहीं किया था। इसलिए प्राधिकरण ने अपने पत्र दिनांक 2 जून, 2016 द्वारा एसडब्ल्यूपीएल को अपने एसओआर परिशोधन प्रस्ताव को शीघ्र दाखिल करने का अनुरोध किया था।

3.2 प्रत्युत्तर में, एसडब्ल्यूपीएल ने अपने दिनांक 8 जून, 2016 के ई-मेल में कहा है कि लेखा परीक्षा करीब-करीब पूरा हो चुका है और कंपनी के लेख परीक्षा के साथ प्रशुल्क परिशोधन प्रस्ताव को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं। इस दृष्टि से, एसडब्ल्यूपीएल ने इस प्राधिकरण से प्रस्ताव दाखिल करने के लिए, 30 जून, 2016 तक समय देने के लिए अनुरोध किया था। इसके साथ-साथ एसडब्ल्यूपीएल ने दिनांक 15 जनवरी, 2016 के इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित आदेश में निहित एसओआर को जारी रखने के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए अनुरोध किया था।

4. एसडब्ल्यूपीएल द्वारा उपरोक्त प्रस्तुतीकरण के मद्देनजर, यह प्राधिकरण एसओआर की परिशोधन के लिए, प्रस्ताव दाखिल करने के लिए, 30 जून, 2016 तक समय-सीमा प्रदान करता है। एसडब्ल्यूपीएल को विस्तारित समय-सीमा के अंदर अपना प्रस्ताव दाखिल करने के लिए भी परामर्श दिया जाता है। चूँकि एसडब्ल्यूपीएल के प्रचलित एसओआर की वैधता 31 मार्च 2016 को समाप्त हो चुका है और एसडब्ल्यूपीएल से प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत, मामला को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए प्रक्रिया हेतु समय लगेगा, इसे देखते हुए यह प्राधिकरण एसडब्ल्यूपीएल के प्रचलित एसओआर की वैधता समाप्त तिथि से 30 सितंबर, 2016 तक विस्तारित करता है अथवा संशोधित दरमान की प्रभावी क्रियान्वयन तिथि तक, इनमें से जो भी पहले हो।

5. यदि निष्पादन के समीक्षा के दौरान, 1 अप्रैल, 2016 के अवधि के बाद, स्वीकार्य लागत और अनुनेय लाभान्श से उपर कोई अतिरिक्त अधिशेष निकालता है तो इस अतिरिक्त अधिशेष को निर्धारित होने वाले प्रशुल्क में पूरा समायोजित किया जाएगा।

टी.एस.बालासुब्रमणियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./143/16(158)]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 27th June, 2016

No. TAMP/19/2013-SWPL.— In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of rates of South West Port Limited for its operations at the multipurpose cargo terminal at berth Nos. 5A and 6A in the Mormugao Port Trust as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/19/2013-SWPL

South West Port Limited

- - -

Applicant

QUORUM

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 21st, day of June, 2016)

This case relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates (SOR) of the South West Port Limited (SWPL).

2.1. The existing Scale of Rates (SOR) of SWPL was last approved by this Authority vide Order No. TAMP/19/2013- SWPL dated 4 February 2015, which was notified in the Gazette of India on 11 February 2015. The Order prescribed the validity of the SOR till 31 March 2016.

2.2. Subsequently this Authority vide Order No. TAMP/24/2015-SWPL dated 15 January 2016 disposed of the review application filed by the SWPL, which was notified in the Gazette of India vide Gazette No. 82 dated 4 March 2016.

3.1. As per clause 3.1.2 of Tariff Guidelines 2005, the private terminals have to file their proposal at least 3 months before due for revision. Since SWPL had not filed the proposal for revision of its SOR, SWPL was, vide our letter dated 2 June 2016 requested to expedite filing its proposal for revision of its SOR.

3.2. In response, the SWPL vide its email dated 08 June 2016 has stated that finalization of Audited accounts is about to close, and it is in the process of finalizing the tariff revision proposal with the audited accounts of the company. In view of this, the SWPL has requested this Authority to grant time up to 30 June 2016 to file the proposal. The SWPL has also requested to allow it to continue with the SOR approved by this Authority in the Order dated 15 January 2016.

4. In view of the above submissions made by SWPL, this Authority grants time till 30 June 2016 to SWPL to file its proposal for revision of SOR. The SWPL is advised to file its proposal within the extended time. Since the validity of the existing SOR of SWPL has expired on 31 March 2016 and recognising that it will take time to process and finalise the case on receipt of the proposal from SWPL, this Authority extends the validity of the existing SOR of SWPL from the date of its expiry till 30 September 2016 or till the effective date of implementation of the revised Scale of Rates, whichever is earlier.

5. If any additional surplus over and above the admissible cost and permissible return emerges for the period post 1 April 2016, during the review of its performance, such additional surplus will be set off fully in the tariff to be determined.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./143/16(158)]